

RR No. 2112

26/12/11

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

कमांक :- प. 20(1)साप्र/2/11 पार्ट

जयपुर, दिनांक : 20.12.2011

-: आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी एफ श्रेणी की वरियतानुसार आवंटित एफ श्रेणी राजकीय आवास का आवंटन उनके निवास हेतु पूर्व शर्तों के आधार एतद्वारा किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम व पद	आवास संख्या	सेवानिवृति तिथि	वरियता संख्या
1	श्री सुरेश दुर्गानी सहायक अनुभागाधिकारी प्रशासनिक संधार (आरटीआई) विभाग, शासन सचिवालय जयपुर	एफ-193 गॉधीनगर (एफ-411 गॉधीनगर के स्थान पर )	31.7.2019	2002
2	श्रीमती अनिता सिंह नर्स ग्रेड-आ सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर	एफ-189 गॉधीनगर (एफ-69 गॉधीनगर के स्थान पर )	31.5.2030	189
3	श्री रामावतार सोनी वाहन चालक साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग जयपुर	एफ-42 गॉधीनगर (4/41 गॉधीनगर के स्थान पर )	31.1.2025	195
4	श्री जुगलकिशोर सोनी कनिष्ठ अनुसंधान अधिकारी सहायक मुख्य अभियन्ता (आई.डी. एण्ड आर.), जल संसाधन युनिट, जयपुर	एफ-95 गॉधीनगर (4/20 गॉधीनगर के स्थान पर	31.8.2031	234
5	श्री सुभाष चंद कंसारा कनिष्ठ लिपिक कृषि विभाग, जयपुर	एफ-181 गॉधीनगर (4/117 गॉधीनगर के स्थान पर	30.11.2033	235
6	श्रीमती रीना जार्ज नर्स ग्रेड-आ सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर	एफ-200 गॉधीनगर (4/76 गॉधीनगर के स्थान पर	30.9.2036	236

आज्ञा से,

A

शासन सहायक सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. जिला कलक्टर, जयपुर।
2. निदेशक, सम्पदा/साक्षरता एवं सतत शिक्षा विभाग, जयपुर।
3. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग।
4. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
5. आयुक्त, कृषि विभाग, जयपुर।
6. मुख्य अभियन्ता (आई.डी. एण्ड आर.) जल संसाधन युनिट, जयपुर।
7. मुख्यलेखाधिकारी/कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
8. कोषाधिकारी, जयपुर शहर जयपुर।
9. प्रबन्ध निदेशक, राजकॉम, प्रथम तल, योजना भवन, जयपुर- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
10. अधिशाषी आीयन्ता, सा0 नि0 विभाग/जन स्वा0 अभि0 विभाग/जयपुर विद्युत वितरण निगम लि0 गॉधीनगर,, जयपुर।
11. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गॉधीनगर, जयपुर।
12. सम्बन्धित कर्मचारीगणों को भेजकर लेख है कि पूर्व में आवंटित आवास 15 दिवस में रिक्त करने काश्रम करें अन्यथा प्रथम माह दुगुना तदुपरान्त तीन गुणा किराया वसूलनीय होगा।
13. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
14. रक्षित पत्रावली।

शासन सहायक सचिव

20/12/11

OIC (Web)  
A

26/12-2011

A  
MCA